

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9925  
प्रार्थीगण

दिनांक - 17.12.25

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कुम्भाराम पुत्र रामाराम 2 खुमाराम पुत्र पुरखाराम 3 गोधूराम 4 दूदाराम पिसरान रामाराम 5 पदमाराम 6 मगाराम 7 मोटाराम पिसरान पुरखाराम 8 सोनीदेवी पत्नि पुरखाराम जाति जाट निवासी राजूओणी जाखडो की ढाणी भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

1 चुनाराम पुत्र हुकमाराम वगैराह जाति जाट निवासी राजूओणी जाखडो की ढाणी भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 581/2025

दिनांक-26/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राजूओणी जाखडो की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 789/745 रकबा 14.7629 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 742 रकबा 2.1772 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 744 रकबा 4.1035 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 790/745 रकबा 14.7548 हैक्टेयर, भूमि व मौजा मगनाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 971/809 रकबा 3.7474 हैक्टेयर, भूमि व मौजा खारियातला पटवार हल्का भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 731 रकबा 7.2520 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)  
उपखण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
बाडमेर  
बाडमेर

दिनांक- 17.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9926-29

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण कुम्भाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी राजूओणी जाखडो की ढाणी भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण चुनाराम पुत्र हुकमाराम वगैराह जाति जाट निवासी राजूओणी जाखडो की ढाणी भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी  
बाडमेर  
बाडमेर